
क्षात्रिक समित्रक कि नेप्रतर सक्षीति साथ (क)



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

# उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 23 मार्च, 2021 ई0 चैत्र 02, 1943 शक सम्वत्

### भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 100/मा0नि0आ0/उत्तरा0-वि0स0/3/2021/उ0अनु0-2 नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

## अधिसूचना अ

Cated Willy Light, March 23, 8021

संग 100 / मार्गनिवआ0 / उत्तराव – विवस्त / 3 / 2021 / उव्यानुक – 2 – यतः, एत्तराखण्ड राज्य विधानसम्। में, 49 नाल्ट विधान समा निर्वाचन – क्षेत्र से निर्वाचित, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के निधन के परिणामस्वरूप 12 नवस्वर 2020 को रिक्त हो गया है और

- 2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3 यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद द्वारा :--
  - (अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसमा में 49-सस्ट विधानसमा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 04 मई, 2021 (मंगलवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसमा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाधित कर दे:

elect, before 4°. May, 2021(Tuesday) and in accordance with the provision of the said act and of the raid of the said vucancy in the rules and other made thereunder, a parson for the purpose of filling the said vucancy in the

(क) नाम निर्देश्न करने की अन्तिम तारीख	30 मार्च, 2021 (मंगलवार)	
(ख) नाम निर्देशनों की संवीका की तारीख	2021 (guing)	
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तासीख	०३ अप्रेल, २०२१ (विनवार)	
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवस्यक हुआ तो मतदान होगा	17 अप्रैल, 2021 श्रेलिवार)	
(ड) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	4 मई, 2021 (मंगलवार )	

नियत करता है, और

(इ) 7.00 क्वे पूर्वाइन से 5.00 क्वे अपराइन तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवस्यक हुआ तो निर्याचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

असाहारण

हेहरादन, संगलवार, 23 मार्च, 2021 ई0

the the same state and the

भारत निर्वाचन आयोग समिवालय

आदेश से,
राहुल शर्मा,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।
आज्ञा से,
सौजन्या,
सचिव एवं,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

#### SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 100/ECI/UKD-LA/3/2021/NS-II Dated New Delhi, March 23, 2021

#### NOTIFICATION NOTIFICATION

विवास समा निर्वासन-संस से मिसलिया की गरेन्द्र सिंह खीला के लियम से जीनामानस्था पूरे स्थानत आता को जिल्ह हो पहा

No. 100/ECI/UKD-LA/3/2021/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Surendra Singh Jeena in the Legislative Assembly Constituency of State of Uttarakhand, elected from 49-Salt AC, has become vacant on 12 November, 2020 by reason of his death; and

- WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- NOW THEREFORE, in pursuance of sub-section(1) of section 150, and section 30 and 56
  of the Representative of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-
- (A) Calls upon the said 49-Salt AC Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 4th May, 2021(Tuesday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state;

- (B) Appoints, with respect to the said election :-
  - (a) The 30th March, 2021 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - (b) The 31st March, 2021 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
  - (c) The 03rd April, 2021 (Saturday) as the last date of withdrawal of candidatures;
  - (d) The 17th April, 2021 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary be taken up; and
  - (e) The 04th May, 2021 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed;
- (C) Fixes the hours from 7.00 AM to 5.00 PM, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By Order,

RAHUL SHARMA, Secretary, Election Commission of India.

By Order,

SOWJANYA,
Secretary and
Chief Electoral Officer.